

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1821]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 1, 2010/भाद्र 10 1932

No. 1821]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 1, 2010/BHADRA 10, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

का. आ. 2142(अ).—मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 110 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, कृषि ट्रेलरों को केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 97 के उप-नियम (3) के दायरे से 31 अगस्त, 2011 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बाहर रखने की छूट एतद्द्वारा प्रदान करती है।

[फा. सं. आरटी-11036/31/2010-एमवीएल]

सरोज कुमार दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2010

S.O. 2142(E).—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby exempts agricultural trailers from the purview of sub-rule (3) of rule 97 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 till 31st August, 2011 or till further orders, whichever is earlier.

[F. No. RT-11036/31/2010-MVL]

SAROJ KUMAR DASH, Jt. Secy.